माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.) के समक्ष

नि0 / 3428 / PBR / 15

1. श्रीमती सुशीलाबाई पति कल्याणमल अग्रवाल
   उम्र :– वयस्क, धंधा :– गृहिणी
   निवासी जानकी नगर इंदौर

2. धापुबाई पति सत्यनारायण माली
   उम्र :– वयस्क, धंधा :– गृहिणी
   निवासी सुख निवास, इंदौर

3. अशोक कुमार पिता मोरूमल
   उम्र :– वयस्क, धंधा :– व्यापार
   निवासी 105 कांतिकृपलानी नगर इंदौर

...........याचिकाकर्तागण / अपीलार्थीगण

वि रू द्ध

श्रीमती मणीबाई पति ओमप्रकाश माली
उम्र :– वयस्क, धंधा :– मालूम नहीं
निवासी 142 प्रगति नगर इंदौर

..... अनावेदकगण / प्रत्यर्थीगण

निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 50 (1)
मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत

उपरोक्त प्रकरण में याचिकाकर्तागण की ओर से निवेदन है कि :–

याचिकाकर्तागण द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर (म.प्र.) के राजस्व प्रकरण कमांक 219 / अपील / 2010–11 में पारित आदेश दिनांक 27–08–2015 से असंतुष्ट एवं दु:खी होकर याचिकाकर्तागण द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त आधारों पर यह निगरानी याचिका प्रस्तुत करते है :–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0 3428—पीबीआर/15 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20—10—2015	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 27—8—2015 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आवेदकगण की ओर से अपर आयुक्त के समक्ष अनुविभागीय अधिकारी के प्रत्यावर्तन आदेश दिनांक 30—12—2010 के विरूद्ध द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है । इस सम्बन्ध में अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष विधिसंगत है कि अनुविभागीय अधिकारी के प्रत्यावर्तन आदेश के पालन में नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 4—7—2011 को अंतिम आदेश पारित कर दिया गया है, इसलिये उनके समक्ष प्रस्तुत अपील व्यर्थ हो गई है । अतः उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा अपील समाप्त करने में पूर्णतः उचित कार्यवाही की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । **(मनोज गोयल)** **अध्यक्ष**	